न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ..... एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 464/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 927/2026]

[CNR No. UPFZ010024722026]

अकलीम पुत्र इबलाक उर्फ बिल्ला, निवासी ग्राम भेलसर थाना कोतवाली रूदौली, जनपद अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 464/2026, मुकदमा अपराध संख्या 69/2026, अन्तर्गत धारा 309(4), 317(2) भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली रूदौली, जनपद अयोध्या के मुकदमें में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध है। मजिस्ट्रेट द्वारा उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसके विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। वह मुकदमे में नामित अभियुक्त नहीं है। उसे न तो घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया है और न ही उसके पास से कोई बरामदगी हुई है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी आशा अपनी भाभी शोभा देवी व रामेश्वरी के साथ ग्राम फिरोजपुर के रहने वाले बसन्ते के पुत्र के तिलक में शामिल होने दिनांक 12.02.2026 को समय करीब 8.00 बजे शाम गयी थी और वहां से वापस पैदल घर वादिनी व वादिनी की दोनों भाभी आ रहे थे कि रास्ते में मोटरसाइकिल से तीन अज्ञात

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.06.03 17:44:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

व्यक्ति पास आये और मोटरसाइकिल खड़ी करके शोभा देवी के जेवर झुमकी सोने की व पावजेब व नाक का बुन्दा व मटरमाला जबरदस्ती छीन लिया और रामेश्वरी का भी जेवर झुमकी सोने की व पावजेब व नाम का बुन्दा व मटरमाला जबरदस्ती छीन लिया और विरोध करने पर उन लोगों को मारा पीटा। छीना झपटी में दोनों भाभियों को चोटें कान व नाक में आयी है। तीन अज्ञात व्यक्तियों में एक व्यक्ति मनोज को पहचान लिया गया है।

8. चोटहिलों की आघात आख्यायें केस डायरी के साथ संलग्न है, जिसमें चोटहिल रामेश्वरी के दाहिने पिन्ना में दर्द की शिकायत एवं चोटहिल आशा के दाहिने हाथ में दर्द की शिकायत अंकित है तथा चोटिहल शोभा देवी की आघात आख्या में कुल 03 चोटें क्रमशः माथे पर खरोंच, फटा हुआ घाव बायें कान पर होना एवं बायें कान में दर्द की शिकायत होना अंकित है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त को सह अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया आना एवं उनके कब्जे से प्रकरण से सम्बन्धित एवं अन्य अभियोग से सम्बन्धित माल मुकदमा बरामद होना एवं वादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण की पहचान किया जाना अभिकथित है। अभियोजन के अनुसार प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण द्वारा मुख्य सड़क मार्ग पर दुस्साहसपूर्ण ढंग से कथित लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है। केस डायरी पर इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य से कथित अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है। मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये जमानत का संतोषजनक आधार नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 464/2026, मुकदमा अपराध संख्या 69/2026, अन्तर्गत धारा 309(4), 317(2) भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली रूदौली, जनपद अयोध्या में आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 03.06.2026